न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/347

1. सुल्तानराम पुत्र घीसाराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम अरणिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजस्थान।
2. शेखर मिश्रा पुत्र श्री अशोक कुमार, जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मुण्डरू, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
3. तहसीलदार, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

– रेस्पोंडेन्ट्स

4. गुमान सिंह पुत्र बन्नेसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नाथूसर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

– परफोर्मा रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर निर्णय दिनांक 18.05.2022 जो प्रार्थना पत्र संख्या 13/2022 अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी शेखर बनाम तहसीलदार वगैरह जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र पत्थरगढी का स्वीकार किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री कैलाश बागड़ा, वकील अपीलान्ट।
2. श्री रघुवीर सिंह राठौड, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या नं. 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक :– 17.04.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 18.05.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 30.08.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया गया तथा प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहे गये पत्थरगढ़ी वाली भूमियों ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 4282/1, 4282/2 एवं 4282/3 की सीमाओं के दिनांक 27.01.2022 को ईटीएस मशीन द्वारा सैटलमेंट ऑफिस सीकर की टीम द्वारा किये गये सर्वे व दिनांक 03.03.2022 को फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान के अनुसार, मौके पर उक्त खसरा नम्बरान् की उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी सीमा पर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया गये है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ. निरीक्षक फीस 900/– रूपये एवं दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा की जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 27.01.2022 को सैटलमेंट विभाग की टीम द्वारा ईटीएस मशीन से किये गये सर्वे व दिनांक 03.03.2022 को आई.एल.आर. मऊ व पटवारी नाथूसर व भू–प्रबंध कार्यालय के निरीक्षक व अन्य द्वारा किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2022 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 18.05.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 18.05.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 18.05.2022 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही तथ्यों, रिकार्ड एवं न्याय शास्त्र के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को सही अर्थो में समझे बिना ही पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों के आधार पर बिना अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना ही मात्र प्रत्यर्थी संख्या 2 के कथनानुसार ही आलौच्य आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र में लिप्त भूमियों का अपीलान्ट पडौसी खातेदार काश्तकार है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को प्रारम्भ से ही रही है इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट जो कि उक्त प्रकरण में आवश्यक एवं सुसंगत पक्षकार था, को बिना पक्षकार बनाये ही उक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र पढे जाने से ही स्पष्ट है कि उक्त भूमि जिसका सीमाज्ञान किया गया। उक्त भूमियों का नक्शे व मौके में भिन्नतायें थी जिस कारण सीमाज्ञान किया जाना सही प्रतीत नही हो रहा था जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त सीमाज्ञान ही अस्पष्ट है, उससे पत्थरगढी के आदेश दिया जाना कतई भी उचित नही थे। जिस कारण भी उक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट पडौसी खातेदार होने के कारण उक्त प्रकरण का आवश्यक पक्षकार था जिसे पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। अपीलान्ट को पक्षकार बनाये जाने से अपीलान्ट न्यायालय में उक्त प्रकरण में विवादित भूमियों की वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष ला सकता था जिससे न्यायालय को उक्त प्रकरण निस्तारण करने में सुविधा होती लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से मिलीभगत करते हुए विवादग्रस्त विषयवस्तु की वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष नही लाकर मात्र प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया गया है। उक्त अपीलाधीन भूमियां नेशनल हाईव के लगवा भूमि है जो बेशकीमती है। जिनको हडप करने के उद्देश्य से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा बिना मौके का वास्तविक सीमाज्ञान करवाये ही मात्र कागजी सीमाज्ञान करवाकर ही उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही की है जिसके आधार पर न्यायालय श्रीमान द्वारा उक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश दिनांक 18.05.2022 पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र बिना कारण के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया है जबकि अपीलान्ट को कभी भी सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाने बाबत् कोई जानकारी नही दी गई, मात्र प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से मिथ्या तथ्यों का अंकन करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.2022 व 03.03.2022 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर आलौच्य आदेश पारित किया है जबकि अपीलान्ट को

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

उक्त सीमाज्ञान की जानकारी कतई नही रही है, ना ही अपीलान्ट के सामने किसी प्रकार का कोई सीमाज्ञान किया गया है जिस कारण भी आलौच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट ने उक्त उनवानी अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2022 को निरस्त किये जाने बाबत् पेश की है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 15.08.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा मौके पर अपीलान्ट को उसकी भूमि से जबरिया बेदखल करने की कार्यवाही करने पर हुई, जिस पर अपीलान्ट द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2022 की नकल हेतु आवेदन पेश किया गया जो नकल अपीलान्ट को दिनांक 24.08.2022 को प्राप्त होने पर अपीलान्ट को उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 18.05.2022 की जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील जानकारी की दिनांक 15.08.2022 से अन्दर मियाद पेश कर दी है। जिसे पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2022 से सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.08.2022 तक के समय को कंडोन किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2022 से सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.08.2022 तक व तत्पश्चात् अपील पेश करने तक के समय को कंडोन किया जाने के आदेश करते हुए अपील प्रार्थी/अपीलान्ट जानकारी से अन्दर मयाद शुमार फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।

उपरोक्त उनवानी अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर दी है, जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा जिस भूमियों बाबत पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थी/अपीलान्ट उक्त भूमियों का पडौसी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी/अपीलान्ट को बिना पक्षकार ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है तथा मौके पर पटवारी व तहसीलदार पत्थरगढी करने पर आमादा है। चूंकि प्रार्थी/अपीलान्ट भूमियों का पडौसी खातेदार काश्तकार है जिस कारण उक्त अपीलाधीन आदेश से पूर्णतया प्रभावित पक्षकार है। उपरोक्त आदेश की आड में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रार्थी को उसके हक व अधिकारों से महरूम कर देंगे तो प्रार्थी को भयंकर हानि होगी। प्रार्थी के हक व अधिकार आराजी कृषि भूमि में निहित है। इसलिए प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान करने की कृपा करें। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 13/2022 उनवानी शेखर बनाम तहसीलदार वगै. में पारित आलौच्य आदेश 18.05.2022 को खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2022 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावें।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया गया तथा प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहे गये पत्थरगढ़ी वाली भूमियों ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी

आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 4282/1, 4282/2 एवं 4282/3 की सीमाओं के दिनांक 27.01.2022 को ईटीएस मशीन द्वारा सैटलमेंट ऑफिस सीकर की टीम द्वारा किये गये सर्वे व दिनांक 03.03.2022 को फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान के अनुसार, मौके पर उक्त खसरा नम्बरान् की उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी सीमा पर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया गये है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ. निरीक्षक फीस 900/– रूपये एवं दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा की जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर दिनांक 27.01.2022 को सैटलमेंट विभाग की टीम द्वारा ईटीएस मशीन से किये गये सर्वे व दिनांक 03.03.2022 को आई.एल.आर. मऊ व पटवारी नाथूसर व भू–प्रबंध कार्यालय के निरीक्षक व अन्य द्वारा किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2022 पारित किये गये हैं। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2022 पारित किये गये हैं। प्रार्थी द्वारा चाहे गये पत्थरगढ़ी वाली भूमियों ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 4282/1, 4282/2 एंव 4282/3 की सीमाओं के दिनांक 27.01.2022 को ईटीएस मशीन द्वारा सैटलमेंट ऑफिस सीकर की टीम द्वारा किये गये सर्वे व दिनांक 03.03.2022 को फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान के अनुसार, मौके पर उक्त खसरा नम्बरान् की उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी सीमा पर पत्थरगढ़ी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2022 की पालना में पत्थरगढी दिनांक 13.06.2022 को की जा चुकी है, जब अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है तो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2022 के विरूद्व की गयी अपील आधारहीन हो चुकी है। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 15.08.2022 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना एवं अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के संलग्न ऐसे कोई प्रमाणित दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वे अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार प्रभावित व पीडित पक्षकार है। अपीलान्ट्स यह भी साबित नहीं कर पाया है कि वह रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का किस प्रकार पडौसी खातेदार एवं सह खातेदार है। अपीलान्ट्स को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि भूमि खसरा नम्बर 4282/1 रकबा 0.1717 हैक्टर, खसरा नम्बर 4282/2 रकबा 0.5150 हैक्टर, खसरा नम्बर 4282/3 रकबा 0.3433 हैक्टर अवस्थित ग्राम नाथूसर, पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है। उक्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक भूमि खसरा नम्बर 4282/2 व 4282/3 सम्पूर्ण का अकेला खातेदार है व खसरा नम्बर 4282/1 का 900/1717 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। भूमि खसरा नम्बर 4282/1 के शेष 817/1717 हिस्से का खातेदार अनावेदक नम्बर 2 है। ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर में भूमि खसरा नम्बर 4282/1, 4282/2 एवं 4283/3 की सीमाओं के दिनांक 27.01.2022 को ईटीएस मशीन द्वारा सैटलमेन्ट ऑफिस सीकर की टीम द्वारा किये गये सर्वे व दिनांक 03.03.2022 को फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान के अनुसार, मौके पर उक्त खसरा नम्बरान की उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी सीमा पर पत्थरगढी नियमानुसार करवायी जाने के आदेश फरमाये जाने के लिये निवेदन किया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया गया तथा प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहे गये पत्थरगढ़ी वाली भूमियों ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 4282/1, 4282/2 एवं 4282/3 की सीमाओं के दिनांक 27.01.2022 को ईटीएस मशीन द्वारा सैटलमेंट ऑफिस सीकर की टीम द्वारा किये गये सर्वे व दिनांक 03.03.2022 को फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान के अनुसार, मौके पर उक्त खसरा नम्बरान् की उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी सीमा पर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.05.2022 पारित किये गये हैं, उक्त पत्थरगढी के आदेश की पालना में दिनांक 13.06.2022 को मौके पर खसरा नम्बर 4282/1, 4282/2 एवं 4282/3 की पत्थरगढ़ी की जा चुकी है, जब अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2022 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है।

<u>अतः आदेश है</u> कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2022 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर